वर्ष 1 अंक 7 जुलाई 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के कनवेंशन के सामने कुछ मुद्दे

19-20 जुलाई को बंगलौर में होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की ट्रेड यूनियनों का अखिल भारतीय कनवेंशन सारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन में एक और अहम कदम होगा.

15 मई 1978 को दिल्ली में हुए पहले कनवेंशन के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की निर्वाह की हालत पर असर डालने वाले दूरगामी परिणाम सामने आये हैं. वेतन संबंधी समझौतों में सरकार व ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अत्यधिक दखलअंदाजी के खिलाफ इस कनवेंशन ने राष्ट्रीय स्तर पर 28 जून को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था. हड़ताल की तैयारियों से घबराकर केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक बैठक 26 जून को बुलायी जिसमें पांच केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि ब्यूरो द्वारा जारी की गयी नीतियों पर विचार किया जा सकता है तथा सरकार इन नीतियों को मजदूरों पर एक तरफा ढंग से नहीं थोपेगी. इस आश्वासन पर हड़ताल वापिस ले ली गयी लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गयी जिसके कारण सारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में भारी रोष फैल गया.

इस सवाल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी आंदोलन की धमकी के बाद सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक और बैठक एक सितंबर को बुलायी और वायदा किया कि ब्यूरो ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर नयी नीति बनायेगा, लेकिन इस आश्वासन का नतीजा भी पहले आश्वासनों जैसा ही हुआ. हालांकि ब्यूरो ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ कुछ बैठकें की लेकिन यह किसी भी सारपूर्ण वार्ता से बचने के लिये अपनाया गया देरी करने वाला तरीका था. एक तरफ तो ब्यूरो के अधिकारी विचार विमर्श का ढोंग करते रहे लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लापरवाही से सार्वजनिक संस्थानों के अध्यक्षों को सर्कुलर जारी किये कि वेतन संबंधी समझौतों में पुरानी नीति अब भी लागू है. ब्यूरो अधिकारियों के साथ वार्ता ऐसी ढोंगपूर्ण हो गयी थी कि ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को इस सारे सवाल पर सरकार के रवैये के विरोध में इस वार्ता का बहिष्कार करना पड़ा.

ब्यूरो की सबसे भद्दी नीति महंगाई भत्ता तय करने से ताल्लुक रखती है जिसके मुताबिक 1960 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति अंक वृद्धि के लिए रु. 1.30 दिया जायेगा. महंगाई भत्ते को इस मनमाने तौर पर तय करने से मजदूरों के वास्तविक जीवन स्तर में गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतों में इजाफा ज्यादा तेजी से होता है और महंगाई भत्ते की यह दर मंहगाई की पूरी भरपाई से बहुत कम है. बहुत से सार्वजनिक संस्थानों में पूरी भरपाई सबसे कम आय पर निकाली जाती है जिससे न्यूनतम वेतन से ज्यादा पाने वाले मजदूरों की वास्तविक आय में और भी गिरावट आती है.

इस्पात तथा कोयला उद्योगों के समझौतों में न्यूनतम वेतन ऐसे तय किया गया है कि जीवन स्तर को कायम रखने के लिए सबसे कम वेतन पाने वाले मजदूरों को मूल्य सूचकांक में प्रति अंक वृद्धि के लिए रु० 1.50 दिया जाना चाहिए. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने रु० 1.30 प्रति अंक महंगाई भत्ते को मानने से इंकार कर इस बात पर जोर दिया कि महंगाई की पूरी भरपाई की जाए. इन दोनों समझौतों को इस सवाल पर फिर से खोला गया.

भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है हालांकि सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा बार-बार कहा गया है कि यह रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार नहीं की है लेकिन सार्वजनिक संस्थानों में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है. मजदूरों के संयुक्त आंदोलनों के कारण ही सरकार इस रिपोर्ट को लागू करने में असमर्थ रही है. लेकिन आंदोलन जहां भी कमजोर है वहां इस रिपोर्ट की सिफारिशों को पीछे के रास्ते लागू करने की कोशिश की जा रही है.

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

दिल्ली के कपड़ा मिलों में संपूर्ण हड़ताल

दिल्ली के कपड़ा मिलों के 25,000 मजदूरों ने वेतन वृद्धि, शत प्रतिशत महंगाई भत्ते, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में घांधली समाप्त करने, आदि की मांगों को लेकर 27 जून से अनिश्चित कालीन हड़ताल कर दी है. इस हड़ताल का आह्वान सीटू, एटक, इंटक, बी. एम. एस. और एच. एम. एस. तथा कुछ स्वतंत्र यूनियनों ने संयुक्त रूप से किया था.

सीटू द्वारा समर्थन

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 27 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू की तरफ से मैं दिल्ली के 25 हजार कपड़ा मजदूरों को, वेतन वृद्धि, वेतनमानों के संशोधन, वृद्धि की बढ़ी दरों और महंगाई भत्ते में शत प्रतिशत भरपाई की मांगों के लिए एकजुट होकर आज से हड़ताली संघर्ष शुरू करने के लिए बधाई देता हूं.

दिल्ली के कपड़ा मजदूरों का वेतन कपड़ा उद्योग में सबसे कम वेतनों में से एक है और उनकी वेतनवृद्धि तथा सेवा शर्तों में सुधार की मांग बिल्कुल जायज है.

मैं केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को बधाई देता हूं जिन्होंने मिल कर ये हड़ताली संघर्ष शुरू किया है और मैं उनसे यह एकता बनाए रखने तथा मांगें न मान लेने तक एकजुट होकर हड़ताल जारी रखने का आग्रह करता हूं.

मैं दिल्ली के सभी उद्योगों और संस्थानो के मजदूरों और कर्मचारियों से चाहे वो किसी से भी संबंधित क्यों न हों को 25 हजार कपड़ा मजदूरों की संयुक्त हड़ताल की हिमायत में प्रभावशाली समर्थन कार्यवाही करने का आह्वान करता हूं और उनसे हर संभव मदद व सहयोग देने की अपील करता हूं.

इसी दौरान, म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (सीटू) और जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) ने कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में प्रदर्शन किये. होटल और मोटर मजदूरों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है.

दिल्ली में सीटू सहित अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक संयुक्त बैठक ने कपड़ा मजदूरों की मांगों के प्रति प्रबंधकों के अड़ियल रवैये की कड़ी आलोचना की है. इसने मजदूरों की जायज मांगों के प्रति सरकार के लापरवाही भरे व भेदभाव के रवैये की निंदा की है.

जल्दी समझौता कराने के लिए बैठक ने केंद्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन को हस्तक्षेप करने के लिए अपील की है.

नगर निगम कर्मचारियों द्वारा 10 जुलाई से सामूहिक धरना

सीटू से संबद्ध म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन ने 10 जुलाई से अनिश्चित कालीन "सामूहिक धरना" पर जाने का फैसला किया है. दिल्ली नगर निगम के जल तथा इंजीनियरिंग विभागों के हजारों मस्टर रोल कर्मचारियों का 10 दिन के सामूहिक धरने के बाद एक समझौता हुआ था. जिसे लागू कराने के लिये कर्मचारी डेढ़ साल से लड़ रहे हैं.

यूनियन ने इन मांगों सहित एक 22 सूत्री मांगपत्र अधिकारियों को पेश किया है. जिसमें मस्टर रोल पर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तथा इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों को खत्म करने की मांग शामिल है. इसे हासिल करने के लिये कई बार प्रदर्शन तथा धरने आयोजित किये गए. 21 जून से 6 जुलाई तक जोन वाइज प्रदर्शन किए जा रहे हैं. 10 जुलाई को अनिश्चित काल के लिये सामूहिक धरना शुरू होगा.

इसी बीच सीटू की पहलकदमी पर नगर निगम की नौ यूनियनों की एक संघर्ष समिति का गठन हुआ. जिसमें सामान्य मांगों पर एक व्यापक संघर्ष छेड़ने का फैसला हुआ है. अगर इससे पहले अधिकारी समझौता नहीं करते तो राजधानी में पानी तथा बिजली का संकट पैदा हो सकता है जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों पर होगी.

खास उल्लेखनीय बात यह है कि निगम कर्मचारियों ने पहली बार जनता को पानी, बिजली, सफाई तथा अन्य सुविधायें पर्याप्त मात्रा में दिये जाने की मांग की है.

दिल्ली में न्यूनतम वेतन के लिए संयुक्त संघर्ष समिति बनी

दिल्ली में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सीटू, एटक, इंटक, यू. टी. यू. सी., बी. एम. एस. और एच. एम. एस. की पहली जुलाई को एक मीटिंग हुई. इसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की एक संयोजक समिति बनाई गई जिसमें सीटू का प्रतिनिधित्व का० जोगेन्द्र शर्मा ने किया. यह समिति दिल्ली में न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी के लिए संघर्ष-कार्यक्रम तैयार करेगी.

इसके अलावा एक व्यापक संघर्ष समिति बनाई गई है जिसमें हर केंद्रीय ट्रेड यूनियन से तीन प्रतिनिधि हैं. इसमें स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों से भी प्रतिनिधि

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

सीटू ने हस्ताक्षर करने से इंकार क्यों किया ?

बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बी. टी. टी. पी.) (भारत सरकार), दिल्ली, का प्रबंध नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन. टी. पी. सी.) को सौंपने के बाद भी कर्मचारियों की काम व सेवा-शर्तों में कोई फर्क नहीं आया.

लामबंदी : दिसंबर 1977 में वहां सीटू की यूनियन बनने के बाद सीटू की एकता और संघर्ष की लाइन पकड़कर वहां के मजदूर, जो दस-दस साल से मस्टर रोल पर काम कर रहे थे, नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर लामबंद हुए.

बी. एम. एस. के मजदूर विरोधी कदम

मार्च-अप्रैल 1978 में जब संघर्ष जोरों पर था तो एन. टी. पी. सी. ने मई में काम तथा सेवा शर्तों के बारे में एक मसविदा यूनियनों को दिया जिसकी ज्यादातर व्यवस्थाएं मजदूरों के हितों के खिलाफ थी. और इसमें मनमाने ढंग से 1,300 कर्मचारियों को फालतू बताया गया था. इसके अलावा इसमें नये सिरे से इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप, दूसरे प्रोजेक्टों में तबादले आदि की व्यवस्थाएं भी थी. सीटू यूनियन ने इसका विरोध किया और मजदूरों को इसके बारे में सचेत किया. किंतु भारतीय मजदूर संघ (बी. एम. एस.) की यूनियन ने इस मसविदे पर हस्ताक्षर करके समझौते का रूप दे दिया, जिससे बी. एम. एस. यूनियन मजदूरों से कट गयी.

अगस्त 1978 में जब नौकरी स्थायी करने तथा एन. टी. पी. सी. के वेतनमान बदरपुर में फौरन लागू किये जाने तथा जबर्दस्ती मेडिकल चेकअप कराने, इंटरव्यू लेने, दूसरे राज्यों में तबादले की धमकियों के खिलाफ सीटू के नेतृत्व में मजदूरों का आंदोलन उभार पर था तो एक बार फिर बी. एम. एस. यूनियन ने प्रबंधकों से सांठ-गांठ करके मजदूर विरोधी समझौता किया जिसमें 10% अंतरिम सहायता देकर कई मौजूदा सुविधाएं छीन ली, काम के घंटे बढ़ा दिए और अप्रत्यक्ष रूप से छंटनी और प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्टिविटी को स्वीकार किया गया तथा 1,300 कर्मचारियों को फालतू मान कर लंबी ट्रेनिंग के बाद दूसरे प्रोजेक्टों में तबादलों को मानकर मैन-पावर कम करने की शर्त मानी गई.

एन. टी. पी. सी. की धांधली

एन. टी. पी. सी. द्वारा प्रबंध संभालने के वक्त कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 196 रुपये प्रतिमास था और मस्टर रोल के कर्मचारी को साढ़े छः रुपये प्रतिदिन मिलता था. एन. टी. पी. सी. ने अपने दूसरे प्रोजेक्टों की तरह न्यूनतम मूल वेतन 260 रुपये नहीं दिया. ये वेतनमान उन प्रोजेक्टों में भी दिये जा रहे हैं जहां अभी उत्पादन भी शुरू नहीं हुआ है.

नामंजूर : कर्मचारियों ने अगस्त 1978 का बी. एम. एस. यूनियन द्वारा किये गये समझौते को काला समझौता कह कर मानने से इंकार कर दिया और संघर्ष तेज करने का फैसला किया.

सीटू यूनियन

बी. एम. एस. यूनियन द्वारा दो मजदूर विरोधी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी सीटू ने उनसे संयुक्त संघर्ष चलाने की बार-बार अपील की. मजदूरों का दबाव पड़ने पर भी बी. एम. एस. यूनियन को उसके स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के चाहने पर भी संयुक्त कार्यवाही के लिए ऊपर से इजाजत नहीं मिली, हालांकि दिल्ली प्रदेश बी. एम. एस. के अध्यक्ष ही इस यूनियन के अध्यक्ष हैं.

एक और साजिश : इसी बीच बदरपुर पावर वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने हड़ताल का नोटिस दिया. हड़ताल की तैयारियां चल रही थीं लेकिन हड़ताल को पिटवाने के लिए ओ. एंड एम. स्टाफ यूनियन (सुपरवाइजरी कैटेगरी) ने हड़ताल की तारीख से कुछ ही दिन पहले अचानक टूल डाउन करके प्रबंधकों को गैर कानूनी तालाबंदी करने का मौका दिया. इसके खिलाफ मजदूरों ने 11 दिन तक एकजुट और शानदार हड़ताली संघर्ष किया. प्रबंधकों के हमले के खिलाफ मजदूरों में एकता कायम करने तथा संघर्ष चलाने में सीटू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. लेकिन बाकी दोनों यूनियनों के मजदूर विरोधी रवैये से संघर्ष पिट गया. और यह रवैया बराबर जारी रहा. लेकिन सीटू की लगातार कोशिशों से मजदूर फिर लामबंद हुए, और संघर्ष तेज किया गया.

वेतन समझौता वार्ता

प्रबंधकों और यूनियनों के बीच समझौता वार्ता शुरू हुयी. सीटू यूनियन के प्रतिनिधियों ने बी. एम. एस. और ओ. एंड एम. यूनियनों के प्रतिनिधियों के मजदूर विरोधी रवैये के बावजूद सभी मस्टर रोल कर्मचारियों को फौरन 290 रुपये प्रतिमास के न्यूनतम वार्षिक वेतनमान में स्थायी करने तथा तीन साल बाद उन्हें दूसरे सभी कर्मचारियों के समान 305 रुपये प्रतिमास न्यूनतम मूल वेतन दिया जाना तथा 1977 से पहले के सभी वर्कचार्ज व आई. टी. आई. डिप्लोमा होल्डर कर्मचारियों को सही वेतनमान में स्थायी किया जाना लिखित रूप में मनवा लिया. 290 रुपये का वेतनमान तीन साल बाद पूरी तरह खत्म करना स्वीकारा गया था इसके अलावा कई और मांगें मनवा ली गयी. इन सब बातों को मिनट्स में लिखा गया.

लेकिन, 13 जून को संपन्न वार्ता में प्रबंधकों ने 290 रूपये वाला निम्न वेतनमान तीन सालों बाद खत्म किये जाने और सभी मस्टर रोल कर्मचारियों को फौरन 290 रूपये के वेतनमान में

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

महिला श्रमिकों की अखिल भारतीय कमेटी

महिला कर्मचारियों की अखिल भारतीय कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 23—24 जून को हैदराबाद में हुई. डा. लक्ष्मी सहगल ने मीटिंग की अध्यक्षता की.

कमेटी के महिला कर्मचारियों का राष्ट्रीय मांग पत्र पेश करने के लिए नवंबर में पार्लियामेंट के सामने महिला कर्मचारियों का एक प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया.

कमेटी ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नैशनल फेडरेशनों, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठनों और महिला संगठनों को इस अभियान में शामिल होने और इसे सफल बनाने का अनुरोध किया.

एक प्रस्ताव में कमेटी ने आंध्र सरकार को काम के नये लागू किये गये समय पर फिर से विचार करने और उसे बदलने की दरखास्त की. असलियत में इस समय से महिला कर्मचारियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और इससे जनता को काफी असुविधा तो हो रही है पर राज्य सेवाओं की कार्यक्षमता पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है.

कमेटी में कामरेड विमला रणदिवे द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया जिसमें अप्रैल में मद्रास में कमेटी बनने के बाद की गतिविधियों का खुलासा दिया गया था. बातचीत में कामरेड मैथिली शिवरामन, सरस्वति, (तमिलनाडु) शारदा स्वराज्मा, एम. एल.ए., और सुगुणा(आंध्रप्रदेश), अहिल्या रांगणेकर, एम.पी., सुभाषिनी अली, प्रभा सावंत, (महाराष्ट्र) शारदा, सोनी कोमथ (केरल), डा. लक्ष्मी सहगल (यू. पी.), दमयंतिबेन (गुजरात), गंगाम्मा (पश्चिम-बंगाल) और दूसरों ने कार्य रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया.

कमेटी के आह्वान के अनुसार श्रमिक महिलाओं ने पूरे भारत में 30 मई को मांग-दिवस मनाया. सभी राज्यों में जुलूस निकाले गये. मीटिंगें हुई और राष्ट्रीय मांग-पत्र मुख्य-मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों को दिया. अनेक जगहों पर अधिकारियों ने बाल-गृह की सुविधा देने, तथा न्यूनतम वेतन आदि मांगों के प्रति आश्वासन दिया.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने उन सभी ट्रेड यूनियनों तथा अन्य महिला संगठनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 'मांग-दिवस' को सफल बनाने में पूरी सहायता की तथा उनसे मांग-पत्र का प्रचार करने के लिये दरखास्त की गई.

कमेटी ने महिला खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर और ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया. जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा और उनसे अमानवीय हालत में काम कराया जाना है.

जिन राज्यों में कोआर्डिनेशन कमेटी अभी तक नहीं हैं, वहां उन्हें स्थापित करने का भी फैसला मीटिंग ने किया है.

एक नौ सदस्यीय सेक्रेट्रियेट चुना गया. कामरेड विमला रणदिवे इसकी सचिव चुनी गयी.

सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के गिरफ्तार किये गये जवानों को तुरंत रिहा करने की सीटू द्वारा मांग

कामरेड बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू ने 28 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

सीटू आह्वान करती है कि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन व सभी केंद्रीय संगठन जनता सरकार द्वारा संघर्षरत पुलिस सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के जवानों, जो एक लम्बे समय से चली आ रही दिक्कतों से पीड़ित हैं, के खिलाफ उठाये गये बर्बर दमनात्मक कदमों के खिलाफ दृढ़ता से विरोध कार्यवाहियां शुरू करें. बोकारो और दूसरे स्थानों में 20 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की यह आलोचना करती है तथा इसका यह पक्का मत है कि यदि अधिकारी आतंकित न होते तो लोगों का खून बहाए बिना स्थिति से निबटा जा सकता था. सीटू प्रैस और और जनमत के दूसरे माध्यमों का समर्थन करती है जिसने एक साधारण आर्थिक झगड़े में सेना के इस्तेमाल को अस्वीकार कर दिया है.

सीटू यह मांग करती है कि सी. आर. पी. और सी. आई. एस एफ. के गिरफ्तार किए गए जवानों को तुरंत छोड़ा जाए और उनकी दिक्कत को दूर करने के अलावा नौकरी से निकाले गए जवानों की नौकरी बहाल की जाय.

सीटू प्रधान मंत्री के निवारक नजर बंदी कानून को लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करती है जनता को दिये गये अनेक वादों के साथ जनता पार्टी के लीडरान द्वारा यह एक और विश्वासघात है. इसको लागू करने से केंद्र में जनता पार्टी सरकार सिविल लिबर्टीज और जनवादी अधिकारों का अटलता के साथ दमन करेगी जो सभी तानाशाही शासन के शुरू में होता. सीटू आह्वान करती है कि हमारी जनता और जनवाद को इस नये खतरे का ट्रेड यूनियन आंदोलन के सभी हिस्से विरोध करें.

दिल्ली में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मांग

इसी दौरान सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—सीटू, एटक, इंटक, बी. एम. एस. और एच. एम. एस की संयुक्त मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया—जिसमें

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने की अपील

सीटू के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति ने 4 जुलाई को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

नई दिल्ली में 3 जुलाई को सीटू के सैक्रेटेरियट की बैठक हुई और उसने देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थिति तथा आर्थिक हालत का जायजा लिया.

सैक्रेटेरियट ने इस बात को नोट किया कि कोयले और इस्पात उद्योग में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के विरोध के बावजूद समझौता वार्ताओं द्वारा संतोषजनक समझौते हुए हैं. वह इन उद्योगों के मजदूरों को बधाई देता है जिनकी चट्टानी एकता और दृढ़ संकल्प के कारण सभी कठिनाइयों को पार कर ये समझौते संभव हो सके हैं.

सैक्रेटेरियट कई दूसरे उद्योगों जैसे हिंदुस्तान टेलिप्रिंटर्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स के मजदूरों को बधाई देता है जहां हड़तालों की लंबी लड़ाइयां लड़ कर ही वेतन समझौते हुए हैं.

सैक्रेटेरियट सरकार द्वारा सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के प्रति व्यवहार की निन्दा करता है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह माना है कि आंदोलनों की अचानक वृद्धि कई सालों से चली आ रही शिकायतों का नतीजा है. इसके बावजूद सरकार ने कभी भी यह उचित नहीं समझा कि इन्हें संगठन के अधिकार की इजाजत दी जाए जो उनकी शिकायतों को जानने का माध्यम बन सके ताकि उन्हें दूर करना मुमकिन हो.

ऐसे माध्यम के अभाव में न सिर्फ उनकी शिकायतों जैसे दिन पर दिन गिरती हुई आर्थिक हालत का पता लगाना असंभव हो गया बल्कि इसने उन के अफसरों का उनके साथ सामंती मालिकों जैसा बर्ताव करने का तथा उन के साथ अपमानजनक और अमानवीय तौर पर बर्ताव करने का मौका दिया.

ऐसी हालत में उनके प्रतिनिधियों को जो सरकार द्वारा समझौता वार्ता के लिए बुलाए गये थे, हिरासत में ले लेना न सिर्फ गहरा विश्वासघात था बल्कि इस व्यवहार ने आग में घी का काम किया जिससे जवान अत्यधिक चिंतित व व्यग्र हो गये और उन्होंने इस बात की सारी आशा छोड़ दी कि उनकी शिकायतों पर सहानुभूति से ध्यान दिया जाएगा.

सैक्रेटेरियट सरकार से आग्रह करता है कि वह इस बात को समझे कि उसकी दमनात्मक कार्यवाही जले पर नमक छिड़कने का ही काम करेगी. सैक्रेटेरियट सरकार से डिसमिस किये गए सभी कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने, उनके संगठन के अधिकार को मानने तथा उन की शिकायतों को तुरंत पूरा करने की अपील करता है.

रेलवे मजदूरों की बोनस की मांग का समर्थन करते हुए सैक्रेटेरियट प्रधानमंत्री, वितमंत्री श्री चरणसिंह और श्री बीजू पटनायक का हर जगह उनकी इस मांग का खुले रूप से विरोध को गम्भीर रूप से नोट करता है. सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि रेलवे और अन्य विभागीय उद्यमों में मजदूरों को प्राइवेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ही मजदूरों से बहुत कम तनखाएं मिलती है.

सैक्रेटेरियट मजदूरों पर जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा किए हमलों तथा झूठे आरोपों कि वे देश की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं की घोर निन्दा करता है. योजना आयोग और राष्ट्रीय श्रम आयोग के आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि आजादी के बाद के सालों में मजदूरों की उत्पादकता काफी बढ़ी है मगर उनके वास्तविक वेतन में कुछ केसों में नाममात्र की बढ़ोतरी हुई है. और ज्यादातर उनके वास्तविक वेतन में कमी ही हुई है. मंत्रियों का औद्योगिक मजदूरों की निन्दा करते हुए खेत मजदूरों का सिरमौर बनना कौरा आडम्बर है. सरकार ने खेत मजदूरों जिन्हें जमींदार मधुर शब्दों में हरिजन कहते है पर हुए कत्लेआम तथा अत्याचारों से बचाने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है और वास्तव में ये मंत्री बड़े जमीदारों, कर्ज देने वाले महाजनों, सट्टाबाजों, ब्लैक मार्कीटियरों, बड़े व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय सरमायेदारों जो न सिर्फ खेत मजदूरों व किसानों पर बल्कि सारे मुल्क पर अवर्णनीय जुल्म ढा रहे है, का बचाव करते है.

जनता सरकार का अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वेतन, कीमतों और बोनस के बारे में किये गये वायदे कि जरूरत के अनुसार वेतन को आंशिक वेतन माना जाना और निर्वाह खर्च में वृद्धि की भरपाई देना को पूरा करने से इंकार करना और सरकार का कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद वेतन-जाम लागू करने की कोशिश जो इस प्रकार वास्तविक वेतन में गिरावट है मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों में भारी प्रतिरोध को जन्म दे रहा है और हमें इसी सन्दर्भ में घृणित निवारक नजरबंदी कानून को दोबारा लगाने की कोशिश को समझने की जरूरत है यह कानून मजदूरों तथा उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों पर भारी हमले का प्रतीक है.

सैक्रेटेरियट जनता को चेतावनी देता है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला हमेशा जनता के जनवादी अधिकारों तथा स्वतन्त्रता पर भावी हमले का पूर्वसंकेत है. इमरजैंसी शासन भी इसी प्रकार शुरू हुआ था.

सैक्रेटेरियट सभी ट्रेड यूनियनों से बढ़ती हुई तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक जुट होने की अपील करता है.

[शेष पृष्ठ बारह पर]

गार्डनरीच कर्मचारियों की जीत, 124 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल

गार्डन रीच शिपगिल्डर्स और इंजीनियर्स (जी. आर. एस. ई.) कलकत्ता, जो रक्षा उत्पादन मंत्रालय का उद्योग है, के मजदूरों और कर्मचारियों ने अपनी 124 दिनों की लगातार एकजुट हड़ताल के बाद एक महान जीत हासिल की है.

जी. आर. एस. ई. के दस हजार मजदूर और कर्मचारी अपनी लंबे अरसे से चली आ रही मांगों के प्रति प्रबंधकों द्वारा जानबूझ कर की गई लापरवाही और वादा तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. जब सभी तरह के संघर्षों से कोई नतीजा नहीं निकला तो सभी यूनियनों की एक संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में 22 जनवरी से लगातार हड़ताल कर दी गई.

वेतन वृद्धि, छुट्टी, मकान किराया भत्ता, कैन्टीन भत्ते में वृद्धि, यात्रा व ट्रांसपोर्ट भत्ता, ग्रेच्युटी स्कीम में परिवर्तन, शिफ्ट भत्ता तथा केजुअल मजदूरों का स्थायी करने आदि की मांगें मांग-पत्र में शामिल थी.

मजदूरों के सभी हिस्सों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व अन्य जन संगठनों और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने जी. आर. एस. ई. के मजदूरों का समर्थन किया. हड़ताल के प्रति समर्थन जुटाने और इसका हल कराने में सीटू ने स्थानीय तथा केंद्रीय स्तर पर अगुवा भूमिका अदा की.

राज्य के मुख्य मंत्री कामरेड ज्योति बसु व श्रम मंत्री कामरेड कृष्णपद घोष के हस्तक्षेप से प्रबंधकों को अंत में समझौता वार्ता शुरू करनी पड़ी. कई मीटिंगों के बाद 25 मई को एक समझौता हुआ जिसमें करीब सभी मुख्य मांगें मान ली गयीं. इस समझौते के तहत जी. आई. एस. ई. के मजदूरों को इंजीनियरी मजदूरों के हाल ही में हुए समझौते द्वारा मिलने वाली वृद्धि से 60 से 65 रुपये ज्यादा मिलेंगे. यह समझौता एक जनवरी से तीन साल तक के लिए लागू रहेगा. पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कामरेड मनोरंजन राय ने जी. आइ. एस. ई. के मजदूरों को इस महान जीत के लिए बधाई दी है.

पावर लूम मजदूरों की जीत

राज्य के 50,000 पावरलूम और प्रोसेसिंग मजदूरों की 78 दिनों से चली आ रही लगातार हड़ताल 29 मई को एक समझौता हो जाने से समाप्त हो गई.

ये मजदूर वेतन व महंगाई भत्ते में वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे. नवंबर 1978 में राज्य सरकार ने पावरलूम मजदूरों का न्यूनतम वेतन उनके मांग-पत्र के अनुसार एक नोटिस जारी करके तय किया था. इस निर्देश को मानने की बजाए प्रबंधकों ने निर्देश को खत्म कराने के लिए अदालत की शरण ली. मजदूरों ने इसलिए मजबूर होकर 12 मार्च से लगातार हड़ताल कर दी.

अनेक कठिनाइयों के बावजूद मजदूरों ने 78 दिनों तक एकजुट होकर हड़ताल की और प्रबंधक समझौता वार्ता शुरु करने के लिए मजबूर हुए. 29 मई को समझौता हुआ जिसके तहत तीन सालों में पावरलूम मजदूरों का वेतन 150 रूपये और प्रोसेसिंग मजदूरों का 100 रूपये बढेगा. एक जून से मजदूरों ने काम शुरु कर दिया. पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव ने मजदूरों को मुबारकबाद दी है.

भरतिया मजदूरों का संघर्ष

सीटू और एटक के नेतृत्व में भरतिया फैक्ट्री जो कलकत्ता की एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, की बल्लीगंज और बरुईपुर युनिटों के 1600 मजदूरों ने दो निकाले गए मजदूरों की नौकरी की बहाली, यूनियन नेताओं को मुअतिल करने के आदेश व चार्ज शीटें वापस लेने की मांग को लेकर 20 मई को सांकेतिक हड़ताल की और फैक्ट्री के सामने 29 व 30 मई को दो दिन का धरना दिया.

प्रबंधकों ने फैक्ट्री के गेट के सामने से मजदूरों को हटाने का अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया और अगले दिन पैटर्न शाप में तालाबंदी कर दी. मजदूरों ने 12 जून से लगातार हड़ताल करने का फैसला किया. इससे प्रबंधकों ने समझौता वार्ता शुरु की. राज्य के श्रममंत्री कामरेड कृष्णपद घोष के कमरे में हुई. त्रिपक्षीत वार्ता के बाद मुअत्तिल आदेश व चार्ज शीटें वापस ले ली गई तथा तालाबंदी खत्म कर की गई. निकाले गए मजदूरों की नौकरी की बहाली के बारे में श्रम विभाग दो सप्ताह में अपनी राय जाहिर करेगा जो प्रबंधकों को माननी होंगी. इसलिए लगातार हड़ताल स्थगित कर दी गई है.

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा संघर्ष

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की यूनियनों व एसोसिएशनों की राज्य को-आर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने समूचे राज्य में 6 जून को अपने-अपने दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किये और ज्ञापन दिये. इससे पहले कोआर्डिनेशन कमेटी ने 22 मई को कलकत्ता में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का सम्मेलन किया था.

समूचे राज्य में केंद्रीय सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद 16 जून को कलकत्ता में राज्य भवन के सामने एक केंद्रीय रैली आयोजित की गयी. रैली के बाद राज्यपाल को 6-सूत्री मांग-पत्र प्रधान मंत्री के नाम दिया गया.

ई.एस.आई.सी. कर्मचारियों की 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल

आल इंडिया ई. एस. आई. सी. एंप्लाईज फेडरेशन और उसकी सभी 19 इकाइयों के आह्वान पर सारे देश के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई. एस. आई. सी.) के कर्मचारी 3 जुलाई से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

महंगाई भत्ते का भुगतान तथा सार्वजनिक उद्योग के समान वेतनमानों की मांगों को मनवाने के लिए ई. एस. आई. सी. के कर्मचारी पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं. उनकी स्वतंत्र और समान वेतनमानों की मांग इस हास्यास्पद तर्क पर अनिर्धारित रखी गई है कि ई. एस. आई. सी. के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के काम की तरह का ही काम करते हैं जबकि यह तर्क मानने योग्य नहीं है, और पिछले 27 सालों के दौरान एक बार भी केन्द्रीय वेतन आयोग या अन्य किसी भी उपयुक्त अधिकरण द्वारा ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों के काम के प्रकार की जांच नहीं की गई है. इसके अलावा ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों के बोनस के भुगतान के दावे को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ जोड़ दिया है. ऐसा करना नाजायज है. इस मामले में अधिकारीगण स्वतन्त्र निर्णय ले सकते हैं चूंकि ई. एस. आई. सी. एक आटोनोमस संस्था है तथा इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं.

कर्मचारियों द्वारा की गई 26 से 28 सितम्बर तक तीन दिन की पूर्ण हड़ताल के बावजूद लम्बे अर्से से चली आ रही मांगों पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सका और वार्ता फेल हो गई तथा कई संसद सदस्यों के श्रम और संसदीय मामले के मंत्री से 8 जून को मिलने के बाद भी सरकार और प्रबंधकों ने अपना रवैया नहीं बदला तब आल इंडिया ई. एस. आई. सी. एंप्लाईज फेडरेशन और उससे संबधित 19 इकाइयों को 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

25 जून को फेडरेशन और ई. एस. आई. सी. के डाइरेक्टर जनरल के प्रतिनिधियों और उसके बाद केन्द्रीय श्रम मंत्री डा० राम कृपाल सिन्हा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता फार्मूला न निकल सका और वार्ता फेल हो गई और अंतरिम राहत तथा बोनस के बजाय एक्स-ग्रेशिया की मांगों को भी मानने पर सहमति न हो सकी. देश भर के 400 केन्द्रों में इस सामाजिक सुरक्षा संस्था के कर्मचारियों के पास इन हालातों में 3 जुलाई को अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 17 जून को एक वक्तव्य में कहा कि :

चूंकि प्रबंधकों द्वारा अपनाया गया दोहरा रवैया अनुचित लेबर प्रक्टिस का प्रतीक है इसलिए सीटू ये मांग करती है कि इस मामले में सरकार तुरंत दखलअंदाजी करे और कार्पोरेशन के मैनेजमेंट को कर्मचारियों की अंतरिम राहत और एक्स-ग्रेशिया की मांगों को मानने के लिए निर्देश दे. सीटू उनकी न्यायपूर्ण संघर्ष का पूरा समर्थन देने का वायदा करती है और मजदूरवर्ग से संघर्षरत कर्मचारियों के समर्थन में शक्तिशाली आवाज उठाने की अपील करती है.

इस दौरान आल इंडिया ई. एस. आई. सी. एंप्लाईज फेडरेशन जिसका नेतृत्व का. समर मुखर्जी एम. पी. कर रहे हैं ने ई. एस.आई.सी. योजना के अंतर्गत आने वाले ढाई लाख मजदूरों और कर्मचारियों के संगठनों को ई. एस. आई. सी. के संघर्षरत कर्मचारियों का साथ देने तथा एक सम्मानजनक समझौते के लिए शक्तिशाली आवाज उठाने की अपील की ताकि होने वाली हड़ताल को सभी के हित में टाला जा सके.

24 जून को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन के महासचिव ने देश के सभी जनवादी संगठनों और जनता से ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों के संघर्ष को समर्थन देने का आह्वान किया है. मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ने भी ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों के संघर्ष को सहयोग दिया है. अनेक अखिल भारतीय संगठनों तथा फेडरेशनों ने श्रम मंत्री को हस्तक्षेप करने तथा ई. एस. आई. सी के कर्मचारियों की मांगों का फैसला करने के लिए पत्र लिखा है, और अनेक संगठनों और फेडरेशनों ने ई. एस. आई. सी.. के कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया है.

सीटू के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति ने श्रम मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि, ई. एस आई. सी. कर्मचारियों के एड हाक वेतन में बढ़ोतरी तथा एक्स-ग्रेशिया बोनस देने में सहमत हो तो ई. एस. आई. सी. के कर्मचारी अपना संघर्ष कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हैं. लेकिन अधिकारियों ने इंकार कर दिया है. उन्होंने श्रम मंत्री से प्रार्थना की कि ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों की घोषित हड़ताल से पहले, वे इसमें हस्तक्षेप करें और जितनी संभव हो वेतनवृद्धि करें.

इस्पात मजदूरों को शानदार जीत

19 जून को हुए समझौते से इस्पात उद्योग के ढाई लाख मजदूरों ने एक शानदार जीत हासिल की है. सबसे कम वेतन पाने वाले मजदूर का मासिक वेतन रु. 437 से बढ़कर रु. 505 करके रु. 67.60 की बढ़ोतरी दी गयी है और उसका बेसिक वेतन 300-6-348 की जगह 400-8-488 होगा.

संशोधित वेतन एक सितंबर 1978 से अमल में माना जाएगा और चार साल तक के लिए लागू रहेगा. इसके अलावा कर्मचारियों को 7 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा.

कम से कम वेतन पाने वाले अकुशल मजदूरों को दी गई रु. 67.60 की वृद्धि एक सितंबर 1978 से विभिन्न वेतनमानों में काम कर रहे दूसरे सभी मजदूरों का न्यूनतम गारंटिड लाभ होगा और यह उनके कुल वेतन में जोड़ दिया जायगा. महंगाई भत्ते की दरें हर तीसरे महीने संशोधित की जाएंगी पर ये किसी भी हालत में अब तय की गई दरों से कम नहीं की जाएंगी. फिक्स्ड डी. ए. 1960 के आधार पर सूचकांक 312 से तय किया गया है. एडजस्टेबल डी. ए मौजूदा दरों से ही दिया जाएगा. इसके अलावा फिटमैंट की बेहतर सुविधा भी दी गई है.

अगले चार सालों में 25 से 30 हजार मकान बनाए जाएंगे. मकान किराया भत्ता जो ज्यादा से ज्यादा 85 रुपये होगा मौजूदा नियमों के अनुसार ही तय होगा. बेहतर ट्रांसपोर्ट-भत्ते की सुविधा भी दी गई है.

प्लांट द्वारा चलाये जा रहे स्कूल 10+2 शिक्षा योजना के तहत +2 की सुविधा की व्यवस्था करेंगे. 750 रुपये का बेसिक वेतन और उससे कम वेतन पाने वालों के बच्चों से पढ़ाई की फीस नहीं ली जाएगी तथा दूसरों को भी कई सुविधाएं दी गई है. कर्मचारियों को अपनी शिक्षा योग्यता बढ़ाने और विकास के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी.

उद्योग सीधे ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को भर्ती नहीं करेगा या ठेकेदारों से स्थायी या लम्बे अरसे के लिए चलने वाले काम ठेकेदारों से नहीं कराएगा. एन. एम. आर या एस. ए. आई. एल में लम्पसम वेतन पर काम कर रहे मजदूरों को आमतौर पर स्थायी प्रकृति के कार्यों पर नहीं किया जाएगा सिवाय इमरजैंसी में.

प्रबंधकों ने जिन मैडिकल सुविधाओं को माना है उसमें रिटायर हुए तथा नौकरी के दौरान अपंग या मारे गये कर्मचारियों के आश्रितों को भी अब से कंपनी के अस्पतालों में इलाज वगैरह की सुविधा मिलेगी. प्रबंधक काम करने की सुरक्षात्मक और स्वस्थ हालतों की व्यवस्था करेंगे. उद्योग प्लांट के अन्दर और बाहर वातावरण-प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यवस्था करेगा और प्रभावित लोगों के स्वास्थय और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उचित इन्तजाम करेगा. अतिरिक्त छुट्टियां देने की मांग भी मान ली गई है. स्थायी रूप से अपंग और जिनकी मौत हो गई. ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों में से एक को रोजगार दिया जाएगा. रिटायर होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए वरियता दी जाएगी.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 21 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया.

सीटू इस्पात मजदूरों की वेतन, महंभत्ते, छुट्टियों और अन्य लाभों जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को 19 जून को सम्पन्न हुई सफल समझौता वार्ता द्वारा प्राप्त करने पर बधाई देता है. यह शानदार सफलता विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में इस्पात मजदूरों द्वारा समझौता वार्ता के दौरान जबरदस्त एकजुटता बनाए रखने के कारण संभव हो पाई. एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मैनेजमैंट द्वारा नये मुद्दों के सामने लाने के कारण वार्ता टूट गई है. और जब दुर्गापुर के इस्पात मजदूर विरोध हड़ताल पर गये तब इस्पात मजदूरों को मांग दिवस मनाना पड़ा. यह भी याद रखने की बात है कि उसके बाद ही इस्पात मंत्रालय और एस. ए. आई. एल. अधिकारियों ने संतोषजनक समझौता करने के लिए लेने-देने की नीति अपनानी शुरू की थी. इस समझौते से एकता की अब और भी ज्यादा ताकत होगी क्योंकि इसे सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन प्राप्त है.

सीटू चाहती है कि दूसरे सभी मंत्रालय भी इसी उदाहरण पर चलें. यह फार्मूला रेलवे मंत्रालय पर खास कर लागू होता है जो अभी भी एक या दो यूनियनों से वार्ता करने के पुराने ढर्रे को अपना रहा है. अगर मंत्रालय ने सभी यूनियनों और ट्रेड यूनियन केंद्रों जो रेलवे कर्मचारियों में काम कर रहे हैं के साथ मिल कर आपसी सहयोग और समझौते की नीति अपनाई होती तो मौजूदा हालात से काफी हद तक बचा जा सकता था.

जनता सरकार के बनने के बाद इस्पात मंत्रालय पहला विभाग था जिसने ने सभी यूनियनों से और ट्रेड यूनियन केन्द्रों से चाहे वे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं से सलाह मश्विरा करने की नीति अपनाई और सभी समस्याओं की गहराई में जाकर अध्ययन करने के लिए छः अध्ययन दल बनाए. सीटू इस्पात मंत्री से अनुरोध करती है कि वह एकमत से दी गई सलाहों को जो उन्होंने भी मानी हैं, को लागू करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाये.

सीटू सभी इस्पात मजदूरों को इस एकता को बनाए रखने और सीटू यूनियनों को मजबूत करने का आह्वान करती है ताकि सीटू औद्योगिक संबंधों में अगुवा भूमिका अदा कर सके,

रिजर्व बैंक कर्मचारियों द्वारा ट्रिब्युनल का विरोध

रिजर्व बैंक कर्मचारी जुलाई 1979 में पेश किये गये अपने मांग-पत्र पर समझौते के लिए एक लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं. मैनेजमैंट ने इस मांग-पत्र को बातचीत के जरिये सुलझाने की बजाय 1977 के दौरान प्रतिबंधात्मक मसविदा पेश किया और 'पैकेजडील' लागू करने के लिए जोर दिया. आल इंडिया रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर कई बार कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता और मांग-पत्र पर समझौता कराने की दृढ़ता को सिद्ध करने के लिए सारे देश में सांकेतिक हड़ताल और प्रदर्शन किये. प्रबंधकों को इस एकता के कारण 6 मई 1978 को केंद्रीय लेबर कमिश्नर के सामने पहले कर्मचारियों के मांग-पत्र पर बातचीत, समझौते और उसे लागू करने के लिए और उसके बाद ही प्रबंधकों के प्रस्ताव पर बातचीत की जाने के लिए सहमत होना पड़ा. मांग-पत्र पर बातचीत बिना किसी नतीजे के जारी रही.

इसी दौरान व्यावसायिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन ने अस्थायी तौर पर 'पैकेजडील' और नब्बे फीसदी न्यूट्रलाइजेशन तथा कम तथा कम होती हुई दर पर महंगाई भत्ते जो एक हद के बाद स्थिर हो जायेगा को मंजूर कर लिया. रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने इस चाल के खिलाफ लड़ने का और क्रमशः घटते हुए वेतन का विरोध करने का सैद्धांतिक रास्ता अपनाया. उन्होंने अपना आंदोलन विभिन्न तरीकों से किया और अंत में 'नियमानुसार काम' आंदोलन शुरू करने का फैसला किया. इस आंदोलन ने पूरे बैंक उद्योग पर असर डाला और रिजर्व बैंक 30 जून को अपना खाता बंद न कर सका.

एसोसिएशन समझौता वार्ता के दौरान बातचीत पर किसी तरह की पूर्व शर्त नहीं चाहती थी जैसे कम तथा कम होती हुई दरें, जो एक हद के बाद स्थिर हो जायेगी. यह भांपते हुए कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की दृढ़ एकजुटता के सामने प्रबंधक उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में मजबूर हो जायेंगे, सरकार ने आंदोलन को दमनात्मक तरीकों से तोड़ने के लिए ट्रिब्युनल थोप दिया. समझौता वार्ता के विफल होने की सूचना यूनियन को देने की औपचारिकता भी सरकार ने नहीं निभाई. टिब्युनल के समक्ष दिये गये मुद्दों ने 6 मई के समझोते को रद्द कर दिया चूंकि ट्रिब्युनल कर्मचारियों की मांगों पर भी फैसला करेगा.

आल इंडिया रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर कि मेज पर आपने सामने बातचीत किये जाने की मांग को लेकर और ट्रिब्युनल का विरोध करते हुए 19 जून को समूचे देश के 21 दफ्तरों के 18,000 कर्मचारियों ने दफ्तरों से वाक आउट किया. कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में कई बैंकों के कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक के 2600 कर्मचारियों के साथ बी. बी. डी. बाग के बैंकिंग क्षेत्र के चारों तरफ जुलूस निकाला और संघर्षरत कर्मचारियों के समर्थन में सभा की और ऐसी ही एक रैली 21 जून को भी की गई.

22 और 23 जून को बंबई कार्यालय के चार कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया तथा प्रबंधक बैंक क्षेत्र के सामने प्रदर्शन करने के विरुद्ध कोर्ट से निर्देश ले आये.

यूनियन ने भी हाईकोर्ट में अपील की और कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि "इससे पहले दिया गया आदेश किसी भी प्रकार से आर. बी. आइ. स्टाफ रेग्युलेशन के प्रोसिजर मैनुअल के अनुसार चल रहे कर्मचारियों के खिलाफ पक्षपाती निर्णय नहीं" लेगा और इसके साथ 25 जून को यह भी कहा कि "कार्यवाही के पूरा होने तक कोई भी विक्टिमाइज नहीं होगा."

रिजर्व बैंक के कर्मचारी ट्रिब्युनल के खिलाफ 'नियमानुसार काम' आंदोलन जारी रखने के लिए कटिबद्ध है.

छपते-छपते

संसद के सत्र के चालू होने से जरा पहले ही सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिससे उसने रिजर्व बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और दूसरे अन्य तरीकों से आंदोलन करने पर पाबंदी लगाने की ताकत हासिल कर ली है, हड़ताल की परिभाषा को बढ़ाकर इतना व्यापक बना दिया है कि ओवरटाइम कार्य न करना भी उसमें शामिल है और पुलिस को बिना किसी वारंट के कर्मचारियों को हिरासत में ले लेने की अनियंत्रित ताकत दे दी गई है. ऐसोसिएशन इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है.

औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ हड़ताल

केरल के मजदूर वर्ग ने औद्योगिक संबंध विधेयक तथा हास्पीटल और शैक्षनिक संस्थाओं के कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर रोक लगाने वाले विधेयक के विरोध में 5 जून को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा संगठनों के आह्वान पर संपूर्ण हड़ताल की. केरल में इन कुख्यात विधेयकों के विरोध में यह दूसरी बार संयुक्त कार्यवाही थी. इस बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तुरंत सही संकलन की मांग भी जोड़ी गई थी.

समूचे राज्य में इस आम हड़ताल की रिपोर्टों से पता चलता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा ट्रेड यूनियन संगठनों के मजदूरों की एकता अद्‌भुत थी. शिक्षकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, नर्सों, अराजपत्रित अफसरों और सरकारी तथा अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों व बिजली, बैंक, एस. आई. सी. वित्तीय संगठनों, यातायात तथा औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने पूरे राज्य में एकजुटता जाहिर करने के लिए प्रदर्शन किये. कई जगह पर यातायात कर्मचारियों ने रात के बारह बजे से प्रदर्शन शुरू किये. संपूर्ण यातायात ठप्प हो गया. औद्योगिक क्षेत्र की सभी फैक्टरियां बंद रही. खास कर आलवाय और एर्नाकुलम की सभी फैक्टरियों में काम ठप्प रहा. कोचीन शिपयार्ड जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है उसके कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया. कोचीन हार्बर बिल्कुल सुनसान हो गई. चेथू, काजू, क्वायर, तेल मिल, बागान और माल उतारने तथा चढ़ाने वाले मजदूरों के हड़ताल में शामिल होने से हड़ताल की शान और बढ़ गई.

पूरे केरल में भारी प्रदर्शन और जबर्दस्त मीटिंगें आयोजित की गई. बंद का आह्वान नहीं किया गया था, फिर भी हड़ताल बंद की तरह लग रही थी. एक भी आटोरिक्शा, साईकिल, रिक्शा या टैक्सी सड़क पर नहीं थी. सभी दुकानें तथा बाजार बंद रहे.

एन. एल. ओ. तथा ड्राईवरों की यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान नहीं किया था फिर भी इन यूनियनों के नेताओं के आदेश को ठुकरा कर मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. अलेप्पी में एक्सेल ग्लास फैक्ट्री के ए. आई. टी. यू. सी. के नेताओं ने कुछ सदस्यों पर हमले का बहाना बनाकर हड़ताल में भाग लेने से इंकार कर दिया. लेकिन मजदूरों ने नेताओं का आदेश न मानकर हड़ताल की. बहुत सी जगहों पर कर्मचारियों ने अब तक किसी भी हड़ताल में भाग नहीं लिया था, वे भी इस बार बड़े उत्साह से हड़ताल में शामिल हुए जिससे कुछ सांध्य पत्र नहीं निकल पाये. खेतिहर मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों और दफ्तर कर्मचारियों की एकता इस हड़ताल की खास उल्लेखनीय बात है. करीब सभी जिलों में खेतिहर मजदूर हड़ताल में शामिल हुए और कुहानाडु और ओनाहकर में प्रदर्शन हुए.

हालांकि वासुदेवन नायर सरकार ने कहा था कि वह कर्मचारियों तथा मजदूरों की हड़ताल के विरुद्ध नहीं है, फिर भी उसने 'काम नहीं तो दाम नहीं' का कुख्यात प्रावधान जारी रखा. फिर भी हजारों अराजपत्रित व सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया.

क्या बात है !

श्रममंत्री ने जेनेवा में आई. एल. ओ. सेशन की अध्यक्षता की, सरकार ने इसकी बुनियादी कनवेंशनें अभी तक नहीं मानी हैं

सीटू के महासचिव का० पी० राममूर्ति ने केंद्रीय श्रममंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) कनवेंशनों को मान लेने के लिए 30 जून को निम्नलिखित पत्र लिखा :

प्रिय श्री वर्मा,

आई. एल. ओ. के दस्तावेजों में बार-बार यह दोहराया गया है कि "भारत ने अभी तक न तो एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार की कनवेंशन, (1948 न० 87) और न ही संगठन के अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की कनवेंशन, 1949 (न० 98) को माना है" और मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे.

यह बात एक बार फिर मई-जून 1979 (21वें सैशन) में आई. एल. ओ. की "ऐसोसिएशन की स्वतंत्रता की कमेटी की 194 वीं रिपोर्ट के पैरा 62 में दोहरायी गयी है.

हालांकि आई. एल. ओ. की इन महत्वपूर्ण कनवेंशनों को न मानने का कोई वाजिब कारण नहीं हो सकता, और आपका इस मामले में पिछली कांग्रेस राज की नीति पर चलना हर्गिज न्यायोचित नहीं है, और खास कर इस बार जबकि आपने भारत सरकार के श्रम मंत्री होने के नाते जेनेवा में इस साल आर. एल. ओ. की अध्यक्षता की है.

मैं आपसे इन महत्वपूर्ण कनवेंशनों को मान लेने के लिए तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं और आप मुझे इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का विश्वास दिलाएं.

ठेका मजदूरों के संघर्ष ने तेजी पकड़ी

रेलवे में ठेका मजदूरों का संघर्ष जोर पकड़ रहा है. सिलिगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी के लोकोशेड मजदूरों को जिन्हें 11 अप्रैल 1979 से वेतन नहीं मिला है लेकिन जो इतने दिनों से काम कर रहे थे उन्हें 3 जून से काम रोको हड़ताल शुरू करनी पड़ी. इससे पहले उन्होंने मांगों के हल निकालने की धीरज के साथ इन्तजार की. पहले जब मजदूरों ने संघर्ष शुरू किया था तब कामरेड परिमल मित्रा श्रममंत्री पश्चिम बंगाल ने हस्तक्षेप किया और मजदूर वापस काम पर गये. जिलाधीश तथा एस. डी. ओ. ने कई बार मीटिंग बुलाई लेकिन कभी ठेकेदार या कभी रेलवे अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए जिससे समझौते में रुकावट आ गयी. जैसे ही मजदूरों ने काम रोका तो 10 से 15 साल से काम करने वाले मजदूरों को काम से हटाने के लिये अधिकारियों ने गुंडों को भर्ती किया उनके लिए एक कैंप खोला. उनके खाने और आने जाने का इन्तजाम किया. इन ठेका मजदूरों को रेलवे अधिकारियों ने अपराधी घोषित किया और 70 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया. कामरेड समर मुकर्जी ने हस्तक्षेप किया जिससे रेलवे बोर्ड ने एक अफसर नियुक्त किया और एक अंतरिम समझौता हो गया है.

पूर्वी रेलवे में सभी शाखाओं ने एक ज्ञापन देकर 11 जून को मांग दिवस मनाया. यूनियन के एज प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल सरकार के श्रममंत्री से भेंट की और उनको हालात के बारे में जानकारी दी।

ऐसा लगता है कि जैसे जैसे संघर्ष जोर पकड़ रहा है वैसे वैसे ठेकेदार भी सख्त कार्यवाहियां कर रहा है.

दानापुर में सम्मेलन की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद दानापुर यूनियन के अध्यक्ष कामरेड अरुण प्रसाद वर्मा पर गोली चलाई गई और इससे वे घायल हुए. यूनियन ने इस मामले में आगे कार्यवाही करनी शुरू कर दीं है.

लोको रनिंग स्टाफ शिकायत कमेटी को कोई अधिकार नहीं

लोको रनिंग स्टाफ शिकायत समिति की 14-15 जून को हुई पहली मीटिंग से यह ज्ञात हुआ कि छोटे मोटे मामलों पर ध्यान देने के सिवाय पिछली 22-23 मार्च को हुए समझौतों तक को लागू करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है. इसीलिए लोको कर्मचारियों ने मांग की है कि बातचीत उन्हीं अधिकारियों द्वारा की जाय जो समझौते को लागू करने के लिये कदम उठा सकते हैं. रेलवे बोर्ड ने इस मांग को मंजूर कर लिया है. और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा इसके अन्य सदस्यों के साथ जुलाई में मीटिंग होगी. जिसमें वर्गीकरण, वेतनमान. भत्तों, नौकरी सुरक्षा आदि पर जो समझौता हुआ है उसे लागू करने के लिए बातचीत होगी. इस कारण से ए. आई. एल. आर. एस. ए. की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की मीटिंग स्थगित कर दी गयी है.

कानपुर सिंटेक्स मजदूरों की 11 मई से लगातार हड़ताल

सिन्टेक्स ट्यूब वर्क्स के मजदूर मालिकों की गुंडागर्दी पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी और सरकार के तेज दमनचक्र के बावजूद भी 11 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल को दृढ़ता के साथ चला रहे हैं. मालिकान मजदूरों की न्यायोचित मांगों को हल करने के लिए कतई तैयार नहीं थे. इसलिए मजदूर को मजबूर होकर हड़ताल का फैसला लेना पड़ा.

जे. के. प्रतिष्ठान की इकाई सिंटेक्स ट्यूब वर्क्स कानपुर में शुरू से ही श्रम कानूनों के बजाय लालाशाही के जंगल कानूनो के तहत मजदूरों से कार्य कराया जाता था. शुरू में कारखाने में 350 मजदूर काम करते थे. लेकिन अब केवल 75 स्थाई और 100 अस्थाई श्रमिकों से कार्य लिया जाता है. एक ओर तो श्रमिकों को कार्य से हटाकर उनकी संख्या कम की गई, दूसरी तरफ मजदूरों पर काम का बोझा लादा गया. और अफसरों की बड़ी तादात में भरमार की गई. केवल इतना ही नहीं 10-10 वर्षों से काम करने वाले मजदूरों को कारखाने का मजदूर न बनाकर उससे केवल 5 रुपये में काम कराया जाता है, उन्हें ई. एस. आई. का सदस्य तक नहीं बनाया जाता है और न ही उन्हें भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाता है. सवेतन छुट्टी, राष्ट्रीय एवं त्योहारी छुट्टी. बोनस एवं अन्य श्रम कानूनों से पूरी तरह बंचित रखा जाता है. स्थायी श्रमिकों को वर्षों से किसी भी प्रकार से वेतन में न तो बढ़ोतरी की गई और न अन्य सुविधायें ही दी गईं. श्रमिकों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते से भी वंचित रखा गया. इसके साथ ही साथ मालिकान का मजदूरों के साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार था.

मजदूरों ने मालिकान के इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सीटू के झंडे के नीचे संगठित होकर अपनी आवाज बुलन्द की. मजदूरों ने फरवरी 79 में अपनी समस्याओं को वार्ता के द्वारा हल करने के लिए मालिकों के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत किया. कई यूनियन नेताओं

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

खुरपिया हड़ताल समाप्त

नैनीताल जिले के किछा फार्म के खुरपिया तथा प्राग मजदूर यूनियन के मजदूरों की 21 दिन से चल रही लंबी हड़ताल समझौते के साथ समाप्त हुई. कामरेड नरसहाय सिंह, अध्यक्ष सीटू उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी ने इस हड़ताल में हस्तक्षेप करके मैनेजमेंट तथा मजदूरों के बीच समझौता कराया.

मजदूरों की 15 रुपये मासिक में अंतरिम वेतन बढ़ोतरी हुई है. उनके वेतनमान बढ़ाए जाएंगे. खेत में ही चिकित्सा का प्रबंध किया जाएगा और कैजुअल मजदूर जो साल में 240 दिन काम करता है उसे नियमित किया जायेगा. और सभी हड़ताली मजदूरों को हड़ताल के समय की तनख्वाह के बदले में 40 किलो गेहूं दिया जायेगा.

सीटू सेक्रेटेरियट

[पृष्ठ पांच से आगे]

बढ़ते जन आंदोलनों के उभार के सामने प्रतिक्रियावादी ताकतें लोगों की अन्धराष्ट्रवादी प्रवृति को उकसाकर साम्प्रदायिक ताकतें दंगे फसाद तथा आदिवासियों और अल्पसंख्यक भाषा वालों पर हमले कराकर जनवादी आंदोलनों को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहीं है. त्रिपुरा तथा बंगाल में और देश के समूचे पूर्वी अंचल मे आनंद मार्गियों तथा आमरा बंगालियों की गतिविधियां तथा आर. एस. एस. की गतिविधियां इसके ठोस उदाहरण हैं.

सैंक्रेटेरियट ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग से इस बात को समझने की अपील करता है कि इन गतिविधियों को साम्राज्यवादी ताकतों से बल प्राप्त है तथा ये न सिर्फ मजदूर वर्ग और जनवादी आन्दोलन पर भारी आफत की सूचक हैं. बल्कि देश की एकता के लिए भी गम्भीर खतरा हैं. सैंक्रेटेरियट अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर किए जा रहे हमलों का एकजुट होकर प्रतिरोध करने की अपील करता है.

सैंक्रेटेरियट सभी ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों से कनफेडरेशन बनाने की अपील को पुन: दोहराता है चूंकि यह ही ट्रेड यूनियन आन्दोलन की सम्पूर्ण एकता के लिए पहला कदम होगा जो प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा साम्प्रदायिक तथा अन्यराष्ट्रवादी भावनाओं को जगाकर जनवादी आन्दोलनों कों भंग करने तथा ट्रेड यूनियन और लोकतान्त्रिक अधिकारों पर हमले की साजिश के खिलाफ लड़ सकें.

जूट श्रमिकों का धरना

कानपुर 13 जून. कानपुर जूट उद्योग मजदूर पंचायत (सीटू) के आह्वान पर जूट उद्योग के श्रमिकों ने श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के दफ्तर के सामने 6 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया. धरना देने वाले श्रमिक 21 सितंबर 1978 से बंद कांनपुर जूट उद्योग का अधिग्रहण कर चालू करने की मांग कर रहे थे. धरना कार्यक्रम के दौरान दिन भर धरना कैम्प में आम सभा होती रही. कानपुर जूट उद्योग इससे पूर्व भी दो बार लंबे लंबे समय के लिए बंद हो चुका है और सरकान द्वारा प्रबंधकों को पैसा देकर कारखानों को चालू कराया गया किन्तु फिर भी कारखाने की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के बजाय और खोखली की गयी.

श्रमिकों को ओर से अतिरिक्त श्रमायुक्त एच. एम. मिश्रा को एक ज्ञापन देकर कानपुर जूट उद्योग के अधिग्रहण की मांग की गई और ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अगर सरकार द्वारा कानपुर जूट उद्योग का अधिग्रहण करने का एलान नही किया गया तो मजदूर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा. इससे पूर्व मजदूरों द्वारा 28 मई को जिलाधीश कानपुर के समक्ष एक जोरदार प्रदर्शन किया गया था.

सीटू के नए प्रकाशन

'दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास'

(अंग्रेजी में)

सीटू के चौथे सम्मेलन की समीक्षा. सम्मेलन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव

मूल्य : तीन रुपये

सम्मेलन के अन्य प्रकाशन

(अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध)

अध्यक्षीय भाषण

--बी. टी. रणदिवे

मूल्य : रु० 1.00

महासचिव की जनरल रिपोर्ट

--पी. राममूर्ति

मूल्य : 75 पैसे

कार्य और संगठन की रिपोर्ट

--एम. के. पंधे

मूल्य : रु० 1.00

फाइट यूनाइटिड्ली इन दी काज आफ इंडियन वर्किंग वूमेन

(अंग्रेजी में)

मद्रास में 9-10 अप्रैल, 1979 को हुए श्रमिक महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट

मूल्य : रु० 2-00

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

और

नैशनल बुक एजेंसी (प्रा.) लि.

2, सूर्य सेन मार्केट

कलकत्ता-700013

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	फर	मार्च	अप्रै.
बिहार			
जमशेदपुर	316	323	329
झारिया	312	316	318
कोडर्मा	340	341	350
मोंघाइर	340	340	352
नोआमुंडी	311	311	325
गुजरात			
अहमदाबाद	321	327	328
भाव नगर	334	335	344
हरियाणा			
यमुना नगर	356	362	365
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	332	340	348
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	353	355	359
भोपाल	366	336	337
ग्वालियर	342	355	352
इंदौर	356	358	361
महाराष्ट्र			
बंबई	323	236	331
नागपुर	324	324	332
शोलापुर	343	341	347
पंजाब			
अमृतसर	347	353	352
राजस्थान			
अजमेर	341	344	341
जयपुर	354	368	362
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	334	335	335
सहारनपुर	342	344	348
वाराणसी	388	392	387
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	342	346	348
कलकत्ता	325	329	331
दार्जीलिंग	276	279	279
हावड़ा	317	321	325
जलपाइगुरी	273	282	288
रानीगंज	325	326	333
दिल्ली	368	371	375
भारत	329	332	337

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

तमिलनाडु में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल जारी

तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों का संघर्ष 25 मई से जारी है. हड़ताल से पहले सभी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति और साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एस. आई. एम. ए.) की सरकार के निर्देश पर कोयम्बतूर में समझौता वार्ता शुरू हुई. प्रबंधकों ने मांग पत्र में दी हुई सभी 16 मांगों पर बात करने की बजाय कुल 16 रुपये देने की बात की जिसे यूनियन ने अस्वीकार कर दिया.

इसी दौरान सरकार ने ये मसला ट्रिब्युनल को सौंप दिया. एस. आई. एम. ए. ने उतनी ही बढ़ोतरी मानने की बात मानी जितनी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में समझौतों के अनुसार तय हुई थी. 23 जून को हुई द्विपक्षीय वार्ता में एस. आई. एम. ए ने 40 रुपये की कुल वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि में एक प्रतिशत देने की पेशकश की. महंगाई भत्ते में संशोधन से इंकार कर दिया. समझौता वार्ता फेल हो गई.

निर्धारित तारीख के मुताबिक 25 मई को हड़ताल चालू हो गई. संघर्ष समिति ने डी. सी., आर. डी. ओ. और एस. आई. एम. ए के दफ्तरों के सामने पिकेटिंग करने का फैसला किया.

एम. जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में ए. आई. डी. एम. के. सरकार ने मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां अपनाईं. शांतिपूर्ण मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया और आंसु गैस गोलों का भरपूर इस्तेमाल किया. एक हजार से ज्यादा मजदूरों को झूठे केस बना कर हिरासत में ले लिया गया. एम. जी. आर सरकार ने पूरे राज्य में आतंक का बोलबाला फैला रखा है और मजदूर क्षेत्रों में तो बेहद ही बुरा हाल कर रखा है. सरकार ने इस मामले में न सिर्फ हस्तक्षेप करने से इंकार किया बल्कि उसने यह भी कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोग इस हड़ताल को भड़का रहें हैं.

विभिन्न विरोधी दलों के नेताओ ने 28 जून को मद्रास में एक बैठक की और उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने तथा बिना किसी शर्त के वार्ता शुरू करने की अपील की.

इन नेताओं ने एम. जी. आर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चूंकि सरकार शांतिपूर्ण हड़ताल को दूर करने का कोई उपाय निकालने में असफल रही है इसलिए कपड़ा मजदूरों को पिकेटिंग की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सत्ताधारी एम. जी. आर. दल के और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्त्ताओं की हिंसात्मक कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं. शिकायतों पर पुलिस कोई भी कदम नहीं उठा रही है. विरोधी दलों पर जानबूझ कर लगाए गए झूठे केसों की संख्या बढ़ती जा रही है. उनके प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकार और प्रशासन ने कोई भी उचित कदम उठाये हैं. उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही और सरकार की असफलता के खिलाफ 27 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल करने की घोषणा की.

कोयम्बतूर और नीलगिरि जिलों की सीटू कमेटी ने 29 जून को यह फैसला किया कि दूसरे सभी उद्योगों के कर्मचारी कोयम्बतूर में कलैक्टर के दफ्तर पर तथा दूसरे केन्द्रों में तलुक स्तर के दफ्तरों पर हड़ताली कपड़ा मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे.

'दि वर्किंग क्लास'

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

वार्षिक चंदा 6 रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम 5 प्रतियां लिखें : मैनेजर,

दि वर्किंग क्लास

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

न्यूनतम वेतन···

[पृष्ठ दो से आगे]

शामिल किये जाएंगे. न्यूनतम वेतन के लिए एक राज्य स्तर का सम्मेलन जुलाई के मध्य में आयोजित करने का भी फैसला किया गया.

टाइम्स आफ इंडिया के कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन

सीटू की दिल्ली रीजनल कमेटी के सचिव कामरेड जोगेन्द्र शर्मा ने 20 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू की दिल्ली कमेटी टाइम्स आफ इंडिया के प्रबंधकों के रवैये की निन्दा करती है जो कर्मचारियों की अंतरिम राहत की जायज मांग को मानने से इंकार कर रही हैं. सीटू कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए हड़ताली संघर्ष को पूरा समर्थन देती है.

सीटू प्रबंधकों से टालमटोल की नीति छोड़ कर्मचारियों से तुरंत वार्ता करने की मांग करती है. यह प्रबंधकों द्वारा दिल्ली में लाक-आउट की घोषणा की निन्दा करती है और इसके तुरंत वापस लेने की तथा कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत समझौता करने की मांग करती है.

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

हरियाणा पोलीस्टील्स

यूनियन नेता मुख्यमंत्री से मिले

चंडीगढ़ जुलाई 3. हिसार में हरियाणा राज्य प्रशासन के एक मिनी स्टील प्लांट, हरियाणा पोलीस्टील्स लिमिटेड के मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल, उद्योगमंत्री डा० मंगलसेन, लेबर कमिश्नर श्री जी. माधवन और हरियाणा इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर से मिला और उसने कंपनी के प्लांट में जहां मजदूरों की हड़ताल को नौवां दिन शुरू हो गया है, में चल रही परिस्थिति का ब्यौरा दिया मजदूर प्रबंधकों के भाड़े के गुण्डों द्वारा किये गए घातक हमलों के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं.

पता चला है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लेबर कमिश्नर ने दोनों पार्टियों की 9 जुलाई को चंड़ीगढ़ में एक मिटिंग बुलाई है.

इसी दौरान एस. एफ. आई. से संबंधित हरियाणा स्टूडेण्ट्स यूनियन ने हिसार में हरियाणा पोलीस्टील्स लिमिटेड के मजदूरों पर मैनेजमेंट के गुण्डों द्वारा घातक हमले किये जाने की कड़ी निंदा की है. यूनियन ने हड़ताली मजदूरों की जायज मांगों का समर्थन देते हुए मजदूरों के साथ पूरी सहानुभूति जाहिर की है. यूनियन ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से इस मामले में दखल करने की मांग की है ताकि प्रबंधकों और मजदूरों में संतोषजनक समझौता हो सके. यूनियन ने कंपनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर के कठोर रवैये की निंदा करते हुए प्रबंधकों के भाड़े के गुण्डों को तुरंत हिरासत में लेने की मांग की है.

लिप्टन चाय कं० के प्रबंधकों की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 28 जून को एक बयान में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के लिप्टन चाय कर्मचारियों जो अपनी आर्थिक मांगों के लिए 18 अप्रैल से संघर्षरत हैं को पूरा समर्थन दिया है.

इस ब्रिटिश मलकियत की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा संघर्ष शुरू करते ही अपनी कलकत्ता की फैक्ट्री की तालाबंदी कर दी और कोई भी उचित समझौता करने से इंकार कर दिया.

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अभी भी भारतीय चाय उद्योग और चाय व्यापार पर काफी प्रभाव है. कर्मचारियों के प्रति इनके अड़ियल व्यवहार से जाहिर है कि संपूर्ण चाय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग जायज है.

कामरेड रणदिवे ने कहा कि सीटू लिप्टन चाय कंपनी जो असलियत में यूनिलिवर्स की मलकियत में है, प्रबंधकों के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है. और मांग करती है कि कर्मचारियों की सभी मांगों का तुरंत हल किया जाये. और कलकत्ता की कंपनी की बिना किसी देरी से तालाबंदी खत्म की जाय.

सीटू ने सभी ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि लिप्टन चाय कंपनी के संघर्षरत कर्मचारियों के समर्थन में एकजुट कार्यवाहियां करें.

एजेंटों से

पत्र व्यवहार करते समय कृपया एजेंसी नंबर अवश्य लिखें.

—मैनेजर

बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

[पृष्ठ 3 से आगे]

स्थायी किये जाने के लिखित समझौते को फाइनल एग्रीमेंट में लिखने से इंकार कर दिया. इसके अलावा एग्रीमेंट में कर्मचारियों पर जुर्माने की व्यवस्था जोडी गयी. यही नही, इसमे यूनियन के प्रदर्शन करने, नारे लगाने जैसी बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गयी. औद्योगिक सबंध विधेयक के द्वारा सरकार जिन बातों को कानून बनाकर ट्रेड यूनियन आंदोलन पर थोप नही सकी, क्योंकि बी. एस. एस. सहित सभी संगठनों ने इसका एकजुट होकर विरोध किया था, उन बातों को इन प्रबंधको ने इस एग्रीमेंट में जोड़ दिया. लेकिन पहले जो एग्रीमेंट का मसविदा दिया गया था उसमें जुर्माने की व्यवस्था और यह पाबंदी नही थी.

हाथ कटवाने से इंकार : बी. एम. एस. और ओ. एंड. एम यूनियन अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों को प्रबंधकों के पास गिरवी रख सकती है लेकिन क्रांतिकारी मजदूर सगंठन सीटू जानती हैं कि अगर हमारे पास लड़ने का अधिकार हैं तो हम लड़कर आज नही तो कल अपने हक हासिल कर लेंगे और अगर ट्रेड यूनियन अधिकार ही छिन गये तो न लड़ाई हो सकती है और न हक ही मिल सकते हैं. इसीलिए इन शर्तों पर हस्ताक्षर करके सीटू यूनियन ने अपने हाथ कटवा देने से इंकार कर दिया.

सीटू प्रकाशनों का संकलन

सीटू के दिसंबर 1978 तक के सभी प्रकाशनों का संकलन एक किताब के रूप में उपलब्ध है. इसकी कीमत 8 रुपये है.

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, **तालकटोरा रोड,**
नई दिल्ली-110001

पानीपत के कपड़ा मिलों में हड़ताल

हरियाणा सरकार द्वारा 17 मई को, 240 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन तय किया गया था, जिसे पानीपत टैक्सटाइल व वूलन मिलों के मालिकों ने न देकर वर्क-लोड बढ़ाने तथा तालाबंदी आदि कराने की मजदूर विरोधी नीतियां अपनाई.

शिवा वूलन मिल में, 14 मई को बिना किसी कारण के, तीन श्रमिकों को नौकरी से हटा दिया गया जिससे 21 मई से शुरू हुई हड़ताल अब तक जारी है. हरियाणा सीटू सचिव का० हरीश बागी सहित 17 मजदूरों को झूठे इल्जामों पर गिरफ्तार किया गया.

चौधरी टैक्सटाइल ने माल की कमी के बहाने तालाबंदी की. उमेश वूलन मिल में 20 जून से हड़ताल थी जो 27 जून को मालिक-मजदूर समझौते से समाप्त हुई. इन सब घटनाओं की जानकारी श्रम-विभाग, हरियाणा को समय पर दी गई लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया. इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए.

आसाम में सीटू नेता की हत्या

एक सशस्त्र गुण्डों के समूह ने 27 जून की रात को सीटू के नेता का० प्रबीर भट्टाचार्य, महासचिव 'डूलियाजन मोटर वर्कर्स यूनियन, आसाम, के घर जा कर उन पर व उनके परिवार के सदस्यों पर घातक हमला किया जिसके कारण 29 जून को का० भट्टाचार्य का देहान्त हो गया. इस घटना से पहले, इस यूनियन के मजदूर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान का० भट्टाचार्य व मजदूरों को धमकियां दी गई थी. इन सब घटनाओं की सूचना आसाम सरकार को दी गई थी लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. सीटू ने इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप न करने की घोर निंदा की है और मांग की है कि इसकी जल्दी ही जांच पड़ताल की जाए और हत्यारे को कड़ा दण्ड दिया जाए. आसाम सीटू ने, आसाम के मजदूर वर्ग व लोकतांत्रिक लोगों से, शोकग्रस्त परिवार को आर्थिक सहायता देने और तानाशाही शक्तियों का विरोध करने की अपील की है.

पाठकों से

हम हर महीने के दूसरे सप्ताह में आपके पास प्रतियां डाक/रेल द्वारा भेज देते हैं. 25 से ज्यादा प्रतियों के एजेंटों को इसकी सूचना भी दे दी जाती है.

लेकिन हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि 'सीटू मजदूर' की प्रतियां हमारे ग्राहकों को कुछ देर से मिलती हैं.

पत्रों से मालूम होता है डाक/रेल द्वारा 'सीटू मजदूर' भेज देने के कई दिनों बाद तक भी पैकेट आप तक नहीं पहुंचते. इस बारे में डाक/रेल अधिकारियों से हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि यह आप तक जल्दी पहुचे. लेकिन आप भी अपने स्थानीय डाक/रेल अधिकारियों को इसकी सूचना दें.

आप से हम अनुरोध करते हैं कि आप बिल का एक महीने के भीतर भुगतान कर दें. इससे हमें आर्थिक असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.

—मैनेजर

Regd. No. D (C) 833

बंगलौर कनवेंशन...

[पृष्ठ एक से आगे]

सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की एक और अजीब हालत वहां के कर्मचारियों में गहरा रोष पैदा कर रही है. कई संस्थानों में मजदूरों के प्रतिनिधियों व प्रबंधकों के बीच लंबी वार्ता के बाद समझौते हुए लेकिन इन्हें लागू करने में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने रुकावटें डाली. कई सार्वजनिक संस्थानों में इन समझौतों को लागू कराने के लिए हड़तालें की गयीं. इन समझौतों की कुछ मिसालें हिंदुस्तान टेलिप्रिंटर, हिंदुस्तान केबल्स व बामेर लारी एण्ड कं० इत्यादि हैं.

सार्वजनिक संस्थानों में दस प्रतिशत से अधिक वेतन में वृद्धि न करने की नीति का भी मजदूरों ने कड़ा विरोध किया है. कोयला और इस्पात उद्योगों के समझौतों में मजदूर आंदोलन के दबाव के कारण इन नीति निर्देशों को भूल जाना पड़ा है. कोयला उद्योग के 6 लाख मजदूरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी ने ब्यूरो के इस निर्देश को ताक पर रखने में भारी भूमिका निभायी है.

सार्वजनिक संस्थानों की अफसरशाही ने इन संस्थानों की हर खराबी के लिए मजदूरों की वेतन वृद्धि को दोषी ठहराना एक आदत बना ली है. इस बहाने को वे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित संगीन अपराधों को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों की कार्य तथा जीवन दशा में सुधार की लड़ाई अपृथक रूप से अफरशाही के खिलाफ लड़ाई से जुड़ गयी है. बंगलौर में होने वाला अखिल भारतीय कनवेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की वेतन नीति का गहरा अध्ययन करेगा तथा इन नीतियों को बदलने के लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मजदूर अपने तजुर्बे से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन मुद्दों पर अलग-अलग इकाइयों में संघर्ष करने से कुछ मसलों को तो सुलझाया जा सकता है लेकिन नीति संबंधी बड़े विवाद केवल राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों द्वारा ही हल किये जा सकते हैं.

इस अखिल भारतीय कनवेंशन का सभी ट्रेड यूनियनों ने स्वागत किया है. बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थानों के मजदूर नये जोश के साथ इस कनवेंशन की तैयारियां कर रहे हैं.

सभी सार्वजनिक संस्थानों की ट्रेड यूनियनों का यह कर्त्तव्य है कि वे भारी संख्या में कनवेंशन में भाग लें ताकि संघर्ष के लिए एक आम प्रोग्राम बनाया जा सके जिसे हमारे मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों का समर्थन प्राप्त हो सके.

संपादक मंडल
बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

कानपुर सिंटेक्स...

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

व कार्यकर्ताओं को झूठे आरोप लगाकर निकाल दिया गया. गुंडों द्वारा मजदूरों हमले कराये गये. मजदूरों ने 19 अप्रैल को सांकेतिक हड़ताल की.

मजदूरों पर दमन बढ़ता गया. मालिकों ने मजदूरों के अप्रैल माह का कमाया हुआ वेतन भी नहीं दिया. ऐसी स्थिति में मजदूरों ने 11 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की. हड़ताल नोटिस भेजने के बाद श्रम विभाग के द्वारा एक बार भी मालिकान को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया और मजदूरों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करके मालिकों और जिला प्रशासन को खुले-आम मजदूरों पर दमनचक्र चलाने का खुला मौका दिया. 31 मई की रात में साढ़े दस बजे सिंटेक्स के मजदूरों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके 16 मजदूर कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया.

सीटू से संबंधित यूनियनों के आह्वान पर 8 जून को जिलाधीश के बंगले पर मजदूरों ने एक जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी श्रमिकों का एक प्रतिनिध मंडल जिलाधीश महोदय से मिला और उन्हें ज्ञापन देकर दमनचक्र बंद करने—गिरफ्तार मजदूर नेताओं को बिना शर्त रिहा करने और श्रमिकों की समस्याओं को वार्ता द्वारा हल कराने तथा समझौता वार्ता में सीटू के नेताओं के साथ धमकी पूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गयी. अगर हड़ताल को लंबा खींचकर मजदूर को भूखा मारने की साजिश अपनायी गई तो सीटू शहर के स्तर पर आंदोलन करेगी. सीटू की ओर से हड़ताली मजदूरों के लिए सुबह शाम गेट पर खाने का भंडारा चलाया जाता है और जेल में बंद श्रमिकों को सामान भेजने का तथा हड़ताली मजदूरों के घरों राहत का कार्य भी किया जा रहा है.

सी. आर. पी. ...

[पृष्ठ चार से आगे]

सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ के जवानों, जोकि अपनी जायज मांगों और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं पर सरकार द्वारा फौज के इस्तेमाल की कड़ी निन्दा की गई है.

इसमें सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के हिरासत में लिए गये जवानों की तुरंत रिहाई, निकाले गये जवानों की नौकरी की बहाली, उनके लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतों को दूर करने और उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों को मान्यता देने की मांग की गई है.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज केलिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1,लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन : 384071)